

E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी. सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7

Dated-11-02-2021

No-CSF/6-77/कृषि/2021/

ई निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म , हिसार में विधायन सयन्त्र संख्या 08,306,309,व 61 पर विधायन, पल्लेदारी कार्य,व खलिहानों पर उत्पादन सफाई के कार्यों के लिए ई निविदाएँ दिनांक 03-03-2021 दोपहर 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो कि उसी दिन साँय 3.00 बजे खोली जाएंगी इच्छुक निविदादाता जो कार्य लेना चाहते हैं कार्यों की दरे आनलाइन, दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं फ़ाईनेंसियल) के माध्यम से भेजें । निविदा हेतु निर्धारित धरोहर राशि 100000.00 online के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ,हिसार IFSC Code SBIN0005700 के खाता न 33957537351 में जमा करवाएँ। निविदा संबन्धित समस्त जानकारी निगम की वेब साइट www. indiaseeds. com पर पर देखी जा सकती है तथा ई -पोर्टल http://indiaseeds.eproc. in निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है ।

बीज उत्पादन अधिकारी



E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी. सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

File No. CSF/ /6-77/Agri/2021

Date: 11-02-2021

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tenders under Two Bid System are invited for awarding Processing packing and palletedari works contract of Central State Farm, Hisar situated at 10 km Sirsa Road, Hisar for year starting from 01-04-2021.. Details of eligibility criteria, tender schedule and other Terms and Conditions can be viewed and downloaded from <https://indiaseeds.eproc.in> & www.indiaseeds.com

Particulars	Details
Date of issue of NIT	11-02-2021
Tender document down load start Date/ Time	01-03-2021
Tender document down load end date t/ time	03-03-2021
Start date & time for submission of online bid	01-03-2021 9.30 A.M.
End date & time for submission of online bid	03-03-2021 2.30 P.M.
Date and time of opening of Technical bid & Tender	03-03-2021 3.00 P.M.
Tender fee(to be deposited through Online RTGS/NEFT	Nil
Emd to be deposited through online RTGS/NEFT)	Rs.100000/-
Address for communication	Farm Head, Central State Farm, National Seeds Corporation Ltdl.,10 th K.M. Sirsa Road, Hisar
Contract Person with phone No. & E. mail	Hemant kumar sharma mob-8619145161 e-mail ID csf.hisar@india seeds.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी. सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

SECTION - I

DEFINITIONS:

- **C1 India Private Limited:** Service provider to provide the e-Tendering Software.
- **NSCL e-Procurement Portal:** An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited (“NSCL”) introduced for the process of e-tendering which can be accessed on <https://indiaseeds.eproc.in>.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

- It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency under CCA, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to participate in e-tendering portal of NSCL. Bidders can see the list of licensed CA’s from the link www.cca.gov.in C1 India Pvt. Ltd. also facilitate Class III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) to the bidders. Bidder may contact C1 India Pvt. Ltd. at mobile no. +91-8130606629 for DSC related queries or can email at vikas.kumar@c1india.com
- To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>) to have a user ID & Password which has to be obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3416/- inclusive of all taxes through **online** mode. Validity of Registration is 1 year.
- The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>).
- To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from <https://indiaseeds.eproc.in>.
- To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 570/- inclusive of all taxes (Non-refundable) through online mode (internet banking/debit card/credit card).

- The Bidder may modify or withdraw their bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified or withdrawn by the Bidder after the Bid Due Date and Time.
- Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published at NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>).
- For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support Monday to Friday Ph: **0124-4302033/36/37, nsclsupport@c1india.com**.

It is highly recommended that the bidders should not to wait till the last date of bid submission to avoid complications like internet connectivity issue, network problems, system crash down, power failure, browser compatibility issue, system compatibility issue, improper digital signature certificate problem etc. In view of this context, neither M/s National Seeds Corporation Limited nor M/s. C1 India Pvt. Ltd will be responsible for such eventualities

I. PREPARATION & SUBMISSION OF APPLICATIONS:

- Detailed NIT may be downloaded from NSCL e-tendering portal and the Application may be submitted compulsorily online mode following the instructions appearing on the screen / NIT.
- Vender can pay tender document Fee as per tender document online through Internet Banking / Debit Card/ Credit Card.
- A Vendor manual containing the detailed guidelines for e-tendering system is also available on the portal.

II. MODIFICATION / SUBSTITUTION/ WITHDRAWAL OF BIDS:

- The Bidder may modify, substitute or withdraw it's e-bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified, substituted or withdrawn by the Bidder on or after the Bid Due Date.
- Any alteration/ modification in the Bid or additional information supplied subsequent to the Bid Due Date, unless the same has been expressly sought for by the NSCL, shall be disregarded.
- For modification of e-bid, bidder has to detach its old bid from e-tendering portal and upload / resubmit digitally signed modified bid.
- For withdrawal of bid, bidder has to click on withdrawal icon at e-tendering portal and can withdraw it's e-bid.

IV. OPENING AND EVALUATION OF APPLICATIONS:

- Opening of Applications will be done through online process. However, Corporation reserves the right for evaluation and decision based on tender submitted online.
- NSCL shall open documents of the Application received in electronic form of the tender on the Application due date i.e. in the presence of the Applicants who choose to attend. NSCL will subsequently examine and evaluate the Applications in accordance with the provisions set out in the Tender Document.
- The price bid will be opened of the responsive applicants after evaluation of the technical bids by the farm committee.

III. DISCLAIMER :

The vender must read all the instruction in the RFP and submit the same accordingly

E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी. सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7

Dated 11-02-2021

No-CSF /6-77/Agri/2021/

Technical Bid Requirement

Particulars	Details
1.Copy of PAN No.	
2.Copy of GSTIN Registration	
3. Copy of labour licence	
3. Copy of Identity Card i.e. Adhar Card/ Driving Licence /Voter ID Card	
4.Registered Firm letter Head Copy and expeience if any	
5. Affidavit regarding Non Black Listed of Firm by any Corporation and Government entity	

E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी. सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7

Dated 11.02.2021

No-CSF /6-77/Agri/2021/

Financial bid for Processing Packing and Palledari different type of work

SL. NO	Job Description	Rate per quintal
.1	Loading, transportation/unloading of seeds and goods from the location under municipal boundary and Central Colony/Thaska campus/ Khairawa winnowing center and godown to godown/Seed processing plant and vice versa.	
2	Shifting of seeds / goods from winnowing center/godown to godown/seed processing plant under same campus i.e, Central Colony, Thaska campus, khairawa winnowing center/godown and vice versa.. (Applicable to the distance of more than 100 feet within one godown)	
3	Direct processing and packing of seeds i.e,feeding of raw seeds to seed plant for grading, packing of seeds in 40 kg size, sealing and stamping. (Rate Applicable on graded seed Qty.)	
4	Direct processing and bulk packing of seeds i.e, feeding of raw seeds to seed plant for grading, bulk packing of seeds in 50/35 kg size, sealing and stamping and stacking. (Rate Applicable on graded seed Qty.)	
5	Putting the graded seeds in the coating machine for coating / treatment and treating the seeds properly as per proper guidance, spreading and drying as required.	
6	Printing of pouches by pouch printing machine for packing seeds (rate per 100 nos)	
7	Packing of seeds into desired size/qty.(As given in a,b,c,d,e) from bulk packed seed (Indirect packing) after treatment i.e, printing of bags, filling and weighing of seeds in the bags, printing and sewing of tags on the bags, sealing, etc. making bundle of empty bags in 50 no. and proper cleaning of packing point.	
a	Making bags or minikits up to (0-2) kg of seed and filling in sacks as required.	
b	Making bags of 4 to 6 kg of seed and filling the bags in sacks as per requirement.	
c	Making bags of 8 to 10 kg of seed and filling the bags in sacks as per requirement.	
d	Making bags of 16 to 40 kg of seeds and filling the bags in sacks as per requirement.	
e	Making pouch packing from 0 to 2 kg of seeds and filling the pouches in sacks / cartoons as required.	
8.	Loading of seeds / fertilizer/ chemicals / other goods into trucks / trolleys etc.	
9.	Unloading seeds / fertilizer / chemicals / other items in trucks / trolleys etc.	
10.	Drying the seeds produced in the Kharif season upto proper moister in the sunlight (include bringing the seeds from the godown to the drying place and vice versa.)	
11	Lot wise sorting, stamping and re-stacking of seeds etc. for revalidation / minikit packing.	
a	Bags weighing 0 to 2 kg	
b	Bags weighing from 4 kg to 6 kg	
c	Bags weighing 8 kg to 10 kg	

d	Bags weighing from 16 kg to 40 kg	
e	Pouch packing from 0 kg to 2 kg	
12	Re-packing of revalidated seeds i.e, printing, filling, tagging, labeling, sewing, sealing and filling bags into sacks and re-stacking.	
a	Bags weighing 0 to 2 kg	
b	Bags weighing from 4 kg to 6 kg	
c	Bags weighing 8 kg to 10 kg	
d	Bags / bags weighing from 16 kg to 40 kg	
e	Pouch packing from 0 kg to 2 kg	
13	Lot wise segregation of seeds from the stack and re-stacking in same godown.	
14	Sorting of Empty bags / Bardana and making bundles of 50 no. count and proper stacking.(Rate per bundle)	
15	Fumigation of seeds in godowns, from time to time,i.e, placing fumigation tablets, putting cover on seeds, placing soil on cover etc. After fumigation lifting the cover and cleaning the soil etc. (rate per quintal)	
16	Spraying of chemicals with the help of spray gun by the sprayer pump of the farm from time to time (rate per 500 liter tank)	
17	Sewing tags on the Bulk Packed seeds and restacking.	
18	Cleaning of undersize grains with machine and filling ,weighting, sewing of bags.	
19	40 kg cotton filling, weighing and placing in godown (Khairwa godown)	
20	Filling and loading of cotton in farm vehicles and putting them in the godown.	
21	Unloading of harvested seeds at the winnowing center, spreading and drying up to proper moisture.	
22	Cleaning the raw produce by cleaning machine / fan at the winnowing center.	
23	Filling, weighing, labeling, and sewing of raw seeds in 20-50 kg bags (At Khairwa godown)	
24	Filling, labeling, and sewing of raw seeds in 20-50 kg bags.	
25	Cleaning of bags and making bundles of 50 no.with bag cleaning machine	
26	Repairing bags and , making 50-50 no. bundles	
27	Hand picking of raw seeds/graded seeds at winnowing center and processing plant as per requirement(Rate applicable on final quantity)	

Note: - (i) Contractor has to do by his men with sewing twine or bag closing machine

(ii) The packing material, medicine or other goods should be loaded by the contractor from the Central Colony and brought to the plant.

(iii) The contractor will have to take full care of the maintenance and charging of electric weighing machine and bag closing machine.

(iv) At the time of changing the seed variety, the cleaning of the plant will be done by the labor of the contractor, for which no separate charge will be given.

(v) The waste which will come out during cleaning of the produce at the Winnowing Center under No. 22 the contractor have right to lift the waste after recleaning with his own thresher machine and the grain which will separated during recleaning submitted to farm.

Name and Address _____

Phone No. _____

Bank Account No. _____

PAN No. _____

IFSC Code No _____

**विधायन संयन्त्र सं-08,306,309,व 61 पर विधायन/पल्लेदारी व विपणन व कृषि विभाग
में पल्लेदारी व खलिहानों पर उत्पाद सफाई के कार्य के लिए नियम एवं शर्ते**

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा देने से पूर्व रूपये 100000 /-(एक लाख रूपये) का RTGS / ऑन लाइन धरोहर राशि के रूप में नीचे दिये गये कार्यों के लिये जमा करवाना होगा तभी उसकी निविदा मान्य होगी । कार्य संतोषजनक पूरा होने पर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी । तथा सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्त होने के सात दिन के अंदर-अंदर रु 200000/-(रु दो लाख) बतौर प्रतिभूति राशि जमा करवाना होगा जो कि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर धरोहर राशि के साथ बिना ब्याज के वापिस लौटा दी जायेगी असफल बोलीदाता की धरोहर राशि RTGS या उसके बैंक खाते में वापिस की जायेगी ।
2. विधायन संयन्त्र सं -08 , 306, 309 व 61 पर रबी 2020-21, ग्रीष्म व खरीफ 2021 की फसलों के लिये विधायन व पल्लेदारी कार्य तथा विपणन व कृषि अनुभाग सैन्ट्रल कालोनी, ठसका व खैरवां पर रबी 2020-21 ग्रीष्म व खरीफ 2021 के लिये पल्लेदारी का कार्य के लिये ठेका होगा । यह ठेका एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक या जब तक किसी अन्य ठेकेदार को ठेका आंबटित नहीं किया जाता लागू रहेगा । ठेका एक वर्ष के लिये आपसी लिखित सहमति से बढ़ाया जा सकता है ।
3. कार्यानुसार ठेकेदार को आदमियों की संख्या रखनी होगी । यदि बार-बार कहने पर भी आदमी नहीं बढ़ाये जाते हैं तो फार्म अपने स्तर पर आदमी लगाकर काम करवा लेगा तथा उन आदमियों का भुगतान ठेकेदार के बिल में से काट लिया जायेगा ।
4. यदि ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है या अपने कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा और यह ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी धरोहर राशि तथा थोड़े बहुत किये गये कार्य का भुगतान भी नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अधुरा छोड़ा हुआ कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार फार्म का जो भी अतिरिक्त व्यय होगा उसकी भरपाई उसी ठेकेदार से की जायेगी। यह शर्त सभी किये गये कार्य पर लागू होगी ।
5. ठेकेदार को कार्य शुरू करने से पूर्व 100/-रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर समझौता करना होगा तथा वह इन निर्देशों का पालन करेगा ।
6. प्रक्षेत्र के अन्दर ठेकेदार अपने आदमियों से कार्य करवायेगा तथा फार्म के मजदूरों का प्रयोग नहीं करेगा ।
7. संतोषजनक कार्य न करने पर ठेका समाप्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
8. ठेकेदार को हर महीने की 5 तारीख तक काम का बिल ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 के चालान सहित प्रस्तुत करना होगा ।
9. यदि ठेकेदार के कारण फार्म के कार्य में देरी अथवा किसी प्रकार की हानि फार्म को होती है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी व उसकी वसूली ठेकेदार के बिल में से कर ली जायेगी ।
10. ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा फार्म की खड़ी फसल व अन्य सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी आदि की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा । नुकसान होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल में से की जायेगी ।
11. जिन ठेकेदारों के पास श्रमिक कार्य लाईसेंस होगा उनकी निविदाओं को ही स्वीकार किया जाएगा । ठेकेदार को श्रमिक कार्य लाईसेंस व पैन न0 की प्रतिलिपि निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स काटा जायेगा ।
12. किस्म बदलने के समय प्लांट की सफाई ठेकेदार के आदमियों द्वारा करना होगा । प्लांट की सफाई के लिये कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
13. विधायन के समय यदि ठेकेदार की लापरवाही के कारण बीज की गुणवत्ता ठीक नहीं आती है तो साथ ही साथ बीज को दोबारा री-ग्रेडिंग करना होगा जिसका अलग से कोई पैसा देय नहीं होगा ।
14. ठेकेदार को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को प्लांट पर उपस्थित रहना होगा ताकि उसे किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में अवगत कराया जा सके ।

15. ठेकेदार के पल्लेदार प्रत्येक छोटी, थैलियों को पूरा तोलकर सील लगाकर तथा गिनती करके बड़ी बोरी में भरेगा । ठेकेदार को 1-40 किलो की पैकिंग का वजन सही करना होगा यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है और फार्म को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी । इसके अलावा ठेकेदार से दोबारा बोरियों को गिनवाकर तथा तौलाई करवाने का कार्य करना पड़ेगा, जिसका कोई भुगतान नहीं होगा ।
16. प्लांट की सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा ।
17. किसी भी कार्य के लिये लेबर एक्ट में निर्धारित आय से कम आयु के श्रमिकों को नहीं लगाना होगा । ठेकेदार को लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पता, आयु अपने हाजिरी रजिस्टर में रखना होगा जिसे जरूरत पड़ने पर श्रम निरीक्षक को प्रस्तुत किया जा सके ।
18. विद्युतीय कांटे व बैग क्लोजर का प्रभार लेते व प्रभार देते समय ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त समान सही व चालू हालात में है व उनकी मुरम्मत व रखरखाव एवं समय पर चार्ज करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ताकि तुलाई समय पर व सही हो ।
19. ठेकेदार को सभी अभिलेख (Record) रखने होंगे जो कि Factory Act 1948 मजदूर अधिनियम के अर्न्तगत आवश्यक है । इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
20. कार्यानुसार स्वतः ठेकेदार को विपणन विभाग व विभिन्न खण्डों के लिए पल्लेदारी की संख्या रखनी होगी । पल्लेदारी का कार्य जहां भी जिस समय होगा वही कार्य करना होगा व ठेकेदार का प्रतिनिधि या स्वयं ठेकेदार कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा तथा मजदूरों को लाने लेजाने की व्यवस्था वह स्वयं करेगा ।
21. पल्लेदारों के राशन आदि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी इसके लिये फार्म कोई व्यवस्था नहीं करेगा । फार्म केवल जितना भी सम्भव होगा आवास व्यवस्था में सहयोग करेगा ।
22. यदि ठेकेदार के कारण फार्म के कार्य में देरी अथवा किसी प्रकार की हानि फार्म को होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी व उस हानि की वसूली उसके बिल में से कर ली जायेगी और न किया हुआ कार्य या लापरवाही से हानि होने की स्थिति में नुकसान का जायजा निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा समिति के समक्ष उपस्थिति रहने एवं अपना पक्ष रखने के लिये ठेकेदार को सूचना दी जायेगी तथा नुकसान की वसूली ठेकेदार के बिल से की जायेगी ।
23. यदि चट्टा ठीक दशा में नहीं लगाया होगा तो वह पुनः तोड़कर ठीक प्रकार से लगाना होगा । बोरियों का वजन कम या अधिक पाया गया तो समस्त बोरियों का वजन दोबारा करना होगा जिसका फार्म भुगतान नहीं करेगा । सभी चट्टे की उँचाई आवश्यकतानुसार करनी होगी ।
24. जो चट्टा बाहर लगेगा उसको पल्लेदारों को ढकना होगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
25. चट्टों के नीचे करेट आदि लाने लगाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और चट्टा उठने पर करेट को गोदाम से बाहर सही ढंग से रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । यह कार्य न करने की स्थिति में यह कार्य किसी अन्य से करवाया जायेगा और उसके भुगतान की कटौती ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी ।
26. ठेकेदार के बिलों में से आयकर की वसूली, आयकर अधिनियम के अनुसार की जायेगी । इसके अतिरिक्त अगर अन्य कर सरकार की तरफ से लगाया जाता है तो वह भी ठेकेदार के बिलों में से काटा जायेगा या ठेकेदार द्वारा स्वयं जमा कराने की जिम्मेदारी होगी ।
27. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा । प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है अब कोई देय नहीं है । यदि इस हेतु भुगतान सम्बन्धी शिकायत आती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
28. कोई भी फार्म कर्मचारी या उसका निकट संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठेके में भागीदार नहीं होगा ।
29. विधायन सयन्त्र पर तथा बीज की पैकिंग के बाद खाली बोरियों को 50-50 बोरीयों के बंडल बना कर रखना होगा ।
30. ठेकेदार को जो भी पैकिंग का समान दिया जाएगा (बोरी,लेडसील ,टेग ,लेबल ,दवाई ,थैली ,धागा इत्यादि) की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

31. ठेकेदार को बीज विधायन के समय विधायित बीज की बोरियों पर बीज की किस्म ,केटेगरी , लाट न०, मात्रा किलो मे आदि जानकारी साफ-साफ लिख कर चट्टा लगाना होगा यदि बिना लिखे चट्टा लगता हे तो चट्टा तोड़ कर पूरी जानकारी लिख कर चट्टा पुनः लगाना होगा जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 32° ठेकेदार द्वारा लिए गए विधायन ,उत्पाद सफाई व पल्लेदारी के कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से करने होंगे यदि समय पर कार्य पूरा ना होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जाएगी ।
33. फार्म का उत्पादन विपणन अनुभाग के गोदाम से विधायन सयन्त्र पर लाने /शिफ्ट करने के लिए ठेकेदार स्वयं के वाहन का प्रबंध करेगा फार्म इस के लिए कोई वाहन नहीं देगा।
- 34 . उप-महा प्रबन्धक (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सारी बोली को अस्वीकार कर सकता है तथा निगम विरुद्ध होने पर नोटिस जारी कर किसी भी समय ठेका रद्द कर सकते है ।

आरबीट्रेशन : किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जायेगा । इसके वाबजूद भी विवाद रहने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार आरबीट्रेशन की नियुक्ति, श्रीमान अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के बाद की जायेगी तथा नियुक्त आरबीट्रेशन का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

बीज उत्पादन अधिकारी